न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 32/2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2025/45

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीमती सायर कंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अचलाराम पुत्र रदाराम 2.कानाराम पुत्र रदाराम 3.गुलाबराम पुत्र रदाराम 4.चेलाराम पुत्र रदाराम 5.पेमाराम पुत्र रदाराम जाति भील निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा जरिए सरपंच 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1.श्री वीरमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 4

3.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 5

4.विप्रार्थी संख्या 6 व 7 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक- 28/04/2026

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी श्रीमति सायर कंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 457, 464, 465, 466,467,471 व 472 मौजा बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1053/455,1054/455,459 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीनी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

2 प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतानामा पेश किया गया,साथ ही उक्त विप्रार्थी की तरफ से प्रार्थीनी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीनी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। इसी प्रकार विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से श्री दिनेश कुमावत द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीनी का आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 6 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 07 द्वारा जवाब पेश नहीं कर निर्धारत प्रारूप में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 7 अनुपस्थित रहें।

3 तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीनी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया था,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 457, 464,465,466,467,471 व 472 में से होकर मुख्य सड़क मार्ग पहुंच हेतु खसरा संख्या 1053/455,1054/455,459 में से आवागमन् का रास्ता उपयोग किया जा रहा हैं,प्रार्थीनी उसका उपयोग-उपभोग करती आ रही हैं,लेकिन राजस्व रेकई में रास्ता कटान् नहीं होने के कारण विप्रार्थी बरसात के मौसम में रास्ता रोक-टोक की कोशिश करते रहते हैं,जिसके कारण प्रार्थीनी को आवागमन् की भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा हैं। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से मुख्य सड़क मार्ग पहुंच तक विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 1053/455 व 1054/455 में से परिशिष्ट अ में वर्णित अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया है,क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवागमन् रास्ता के लिए खसरा संख्या 1053/455,1054/455 के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक उपलब्ध नहीं हैं,क्योंकि यही निकटतम रास्ता हैं,जिसका प्रार्थीनी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा उपयोग किया जा रहा था। श्री न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदित रास्ता की मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच करने से पूर्व दोनो पक्षो को जरिए नोटिस मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया तथा दोनो पक्षो की उपस्थिति मे आवेदित रास्ता की जांच स्वंय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने अधीनस्थ स्टॉफ हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में की गई थी और उन द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना पाया तथा प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीनी के आवागमन् के लिए निकटतम होना बताया गया हैं,जो कि अंतिम विकल्प हैं। विप्रार्थी येन-केन प्रकार से प्रकरण को लंबित करने की मंशा रखते हैं,क्योंकि उन द्वारा केवलमात्र प्रार्थीनी को आवागमन् रास्ता से वंचित रखना हैं,जबकि प्रार्थीनी को अत्याधिक रास्ता की आवश्यकता हैं,क्योंकि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई आवागमन् का रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीनी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4 विप्रार्थी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस निवेदन किया था,कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया हैं,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पेश नहीं किया गया है,इस कारण प्रार्थीनी का आवेदन खारिज योग्य है। प्रार्थीनी की ओर से आवेदन पत्र में आवेदित भूमि मे रास्ता प्रचलन में ही नहीं है। केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीनी अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पंहुच हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे रास्ता का कभी उपयोग-उपभोग नहीं किया गया है,और न ही रास्ता प्रचलित है। जबकि प्रार्थीनी के आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि में बताया गया रास्ता लम्बी दूरी में है,इसके विपरीत मौके पर प्रार्थीनी के पास आवागमन का रास्ता उपलब्ध है,जो निकटतम रास्ता है। ऐसा रास्ता खसरा संख्या 460,1056/458,1057/458,1055/458 व 1058/458 से होता हुआ है। उक्त तथ्यों पर तहसीलदार ने न तो कोई जांच की और न ही भू अभिलेख निरीक्षक,पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट ही

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तैयार की,जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क–में आज्ञापक रूप से प्रावधित किया गया है कि निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाऐगा,जो मौका रिपोर्ट भू निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के खातेदारी भूमि मे से उपलब्ध करवायी गयी है,वो खसरा संख्या 460,1056/458,1057/458,1055/458 से अधिक दूरी पर है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में तलब मौका रिपोर्ट एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है,जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व विप्रार्थी को भी सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार किए जाने के आदेश श्री न्यायालय द्वारा दिए गए थे,लेकिन विप्रार्थी को बिना सूचित करते हुए एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है,जो कि निरस्त योग्य है और विवादित रासता व अन्य वैकल्पिक रास्ता की मौका रिपोर्ट दुबारा तलब की जानी आवश्यक है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी के पास जमीन भी कम ही है और उक्त भूमि के सहारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है,यदि उक्त भूमि मे से रासता स्वीकृत किया जाता है,तो विप्रार्थी के भूमि के दो टुकड़े हो जाऐगे तथा विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतं मे निवेदन किया कि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता उपलब्ध नही होने एवं दूरी अधिक होने के कारण प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जावे।

5 विप्रार्थी संख्या 05 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया था कि प्रार्थीनी का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किए जाने के कारण चलने योग्य नहीं हैं,प्रार्थीनी की ओर से आवेदित भूमि मे से रासता अवस्थित में ही नही है। प्रार्थीनी द्वारा केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीनी के आवागमन के लिए खसरा संख्या 460 व 458 व अन्य खसरो की भूमियो मे से मौके पर रास्ता विधमान है,उक्त खसरान मे से रास्ता घोषित करवा सकती है,लेकिन विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता प्रचलित नही होने के कारण प्रार्थीनी रास्ता प्राप्त नही कर सकती है। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन पत्र मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किए जाने के कारण खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

6 **हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजों व विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1053/455,1054/455 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थीनी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–मौके व रेकर्ड के अवलोकन अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1053/455,1054/455 मे से होकर 6 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित है,जो सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ब में बरंग बैगनी से चिहिन्त है। खसरा संख्या 459 मे अपेक्षाकृत दूरी अधिक है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवागमन हेतु स्थायी रास्ता नही है। खरीफ व रबी के मौसम में पड़ौसी खातेदारो द्वारा पड़त छोड़े जाने व पगण्डी के जरिए आवागमन होता है। आवेदक द्वारा रास्ता का आवेदन सुविधा मात्र के लिए न होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवागमन का अन्य विकल्प मौजूद नहीं पर किया गया है। आवेदक द्वारा अपनी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ नही किया जा रहा है। उक्त दोनो खसरो मे 6 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित होने से खसरा संख्या 1054/455 मे 480 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 1053/455 में 600 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है।

7 हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीनी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 457, 464, 465, 466, 467,471 व 472 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीनी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। इसके अलावा विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा रास्ता की मौका रिपोर्ट समग्र तथ्यो को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है,जिसमें स्पष्ट अंकन किया है कि प्रस्तावित रासता के अलावा अन्य वैकल्पिक रासता विध्यमान नहीं है और प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना विधि सम्मत रहेगा। जहां तक आवेदित रास्ता की मौका जांच रिपोर्ट मे विप्रार्थी पक्ष को बिना सूचित किए हुए मौका रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न है,वे भी स्वीकार योग्य नही है,क्योकि मोका रिपोर्ट तेयार करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए थे,जो कि मोका रिपोर्ट फर्द अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि मे से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पंहुच हेतु

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित रहेगा। ताकि प्रार्थीनी कृषि कार्य करने के लिए आवागमन हेतु कटान रास्ता होना उसकी प्रथम जरूरत होती है,इसके अभाव के कारण काश्तकार को बहुत परेशानियो का सामना करना पड़ता है। उक्त परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रार्थीनी काश्तकार को आवागमन के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है,ताकि वे अपने कृषि कार्यो के लिए आवागमन का एक निश्चित रास्ता मिल जावे तथा भविष्य मे भी रास्ता को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद भी नही रहे। इसी प्रकार विप्रार्थी पक्ष द्वारा दूबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत आपति पेश की गई थी,जो कि प्रकरण पर उपलब्ध रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नही है। इसके अलावा विप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता होना बताया गया,लेकिन मौखिक कथन के अलावा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया,जिससे साबित होता हो कि अन्य विकल्प रास्ता नजदीक मौजूद हो,यदि ऐसा कोई विकल्प मौजूद होता तो मौका रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता,जो कि नही है। ऐसी सूरत में न्यायालय हाजा मौका रिपोर्ट के अनुरूप ही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझता है,जो कि प्रार्थीनी रास्ता प्राप्त करने की हकदार है। इस प्रकार न्यायालय हाजा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पूरी तरह संतुष्ट है कि प्रार्थीनी को आवागमन का रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है,जो कि प्रार्थीनी रास्ता प्राप्त करने की हकदार है। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीनी को अपनी जोत से होकर मुख्य सड़क मार्ग पंहुच तक खसरा संख्या 1053/455,1054/455 मे से मौका रिपोर्ट अनुरूप ही प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है,इस कारण मौका रिपोर्ट अनुरूप ही प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीनी का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1053/455 मे 600 वर्गमीटर व 1054/455 में से 480 वर्गमीटर की सार्वजनिक रास्ता हेतु प्रस्तावित है। खसरा संख्या 1054/455 की डी.एल.सी.दर 3,10,000/-प्रति हैक्टयर व खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1053/455 भूमि की ढी.एल.सी.दर 6,40,000/-प्रति हैक्टयर है। डी.एल. सी.दर की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय होने के कारण खसरा संख्या 1054/455 की दुगुनी प्रतिकर राशि-29760/- व खसरा संख्या 1053/455 की दुगुनी प्रतिकर राशि-76800/- बनती है,जिसको प्रार्थीनी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 457,464,465, 466,467,471 व 472 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी खसरा संख्या 1053/455 मे से 600 वर्गमीटर व विप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी खसरा संख्या 1054/455 मे से 480 वर्गमीटर की भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार बरंग बैगनी दर्शित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 6 मीटर रहेगी तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर खसरा संख्या 1054/455 की दुगुनी प्रतिकर राशि-29760/- व खसरा संख्या 1053/455 की दुगुनी प्रतिकर राशि-76800/-प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीनी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

28/04/2026

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.04.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

28/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा